सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

351वाँ प्रतिवेदन

(पथ निर्माण विभाग)

(दिनांक.................................. ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा
की
राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्राक्कथन	क
2. राजकीय आश्वासन समिति के माननीय सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	ख
3. आश्वासनों की सूची	ग
4. प्रतिवेदन	1-12
5. परिशिष्ट	13-24

प्राक्कथन

मैं, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत पथ निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 12 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 351वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 4 अप्रील, 2024 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधान मंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन-प्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिस पर सरकार का आश्वासन होता है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है ।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

दामोदर रावत,

सभापति,

राजकीय आश्वासन समिति,

बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2024–25 के माननीय सदस्यों की सूची

सभापति

1.	श्री दामोदर रावत	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री केदार नाथ सिंह	स०वि०स०
2.	श्री संजय कुमार गुप्ता	स०वि०स०
3.	श्री हरिभूषण ठाकुर "बचोल"	स०वि०स०
4.	श्री जनक सिंह	स०वि०स०
5.	श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स०वि०स०
6.	श्री सुदर्शन कुमार	स०वि०स०
7.	श्री उमाकांत सिंह	स०वि०स०
8.	श्री रामविशुन सिंह	स०वि०स०
9.	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

1.	श्री राज कुमार	सचिव
2.	श्री असीम कुमार	निदेशक
3.	श्रीमती पूनम सिन्हा	उप-सचिव
4.	सुश्री शिल्पा यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री राजीव कुमार सिंह	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6.	श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7.	श्री राजीव रंजन–III	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8.	श्री मो० अली	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
9.	श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर

दिनांक 11 फरवरी, 2023 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में पथ निर्माण विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची—

क्रम सं०	आश्वासन सं०
1	428/12
2	61/21
3	127/21
4	889/21
5	1002/21
6	1506/21
7	1773/21
8	64/22
9	73/22
10	562/22
11	644/22
12	1190/22

प्रतिवेदन

पथ निर्माण विभाग

आश्वासन संख्या 428/12

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1568 (पथ-130), दिनांक 14 मार्च, 2012 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री अरूण कुमार, स०वि०स० ।

विषय--सहरसा जिलान्तर्गत बलथी से मुशहरनिया के शेष भाग 4-6.5वें कि०मी० पथ का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--इन दोनों पुलों के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ही कि०मी० 4 से 6.5 के पथांश के निर्माण का कार्य कराया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 428-वि०स०, पटना, दिनांक 4 मई, 2012 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 428, दिनांक 4 मई, 2012 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 2624, दिनांक 12 मई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 61/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 164 (पथ-17), दिनांक 24 फरवरी, 2021 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० ।

विषय-मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखंड के भगवतीपुर पंचायत के वार्ड नम्बर 4 से 6 धोबियाही चौक, हॉस्पिटल होते विजय सलमपुर तक नवनिर्मित राष्ट्रीय उच्च पथ 527/ए के दोनों तरफ नाला का निर्माण नहीं किये जाने के कारण सड़क पर जल-जमाव रहता है तथा घरों में पानी घुस जा रहा है, जिसके कारण आमजनता को कठिनाई हो रही है, तो राष्ट्रीय उच्च पथ 527/ए के दोनों तरफ उक्त स्थल पर नाला का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 527/ए के किलो मीटर 0 से 28(पोखरोनी-झंझारपुर) में 7 मीटर चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा जो अंतिम चरण में है । वर्तमान में इस कार्य में विषयगत पथांश में नाला निर्माण का प्रावधान नहीं है । स्थल अध्ययन कराकर जल-जमाव की समस्या के निराकरण का उपाय किया जायेगा ।

अध्यक्ष--उत्तर मुद्रित है । पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री समीर कुमार महासेठ--महोदय, यह प्रश्न 3 फरवरी को ही प्राप्त हो गया , आज 24 फरवरी है, 20 दिनों से अधिक हो जाने के बावजूद स्थल अध्ययन क्यों नहीं कराया गया ? सरकार का 40 लाख से ऊपर प्रत्येक वर्ष बर्बाद होता है ।

श्री नितिन नवीन, (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि पहले से जो कार्य चल रहे हैं, उसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का टू-लेन का पेव सोल्डर का काम चल रहा है और जो हमने स्थल अध्ययन के बारे में कहा है उसके लिये हमलोग वहां से रिपोर्ट मंगा रहे हैं । जैसे ही रिपोर्ट आयेगा उसके निराकरण के लिये इसका उपाय किया जायेगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ--महोदय, प्रश्नगत पथ का जो प्राक्कलन बनाया गया था, क्या वह स्थल पर जाकर बनाया गया था ? यदि बनाया गया तो नाला का प्रावधान क्यों नहीं किया गया ? इसके लिये दोषी अधिकारियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है । चूँकि बसावट भी है, शहर भी है । और गांव भी है, दोनों तरफ बसावट है और हरेक साल टूट जाता है ।

श्री नितिन नवीन, (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, जब भी चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के काम होते हैं, जो पहले पुरानी सड़क होती है उसके चौड़ीकरण का काम होता है, जहां-जहां पर पोपुलेशन रहता है । वहां पर नाला का प्रोवीजन समय-समय पर किया जाता है । इस प्रश्न पर भी हमने उसके प्रोवीजन करने के लिये सुझाव भी दिया है, विभाग को निदेश दिया है और जितना जल्दी इसका रिपोर्ट आयेगा इस पर नाला का निर्माण करायेंगे ।

(ज्ञाप संख्या 61-वि०स०, पटना, दिनांक 19 जुलाई, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 61, दिनांक 19 जुलाई, 2021 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4117, दिनांक 4 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 127/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 313 (पथ-36), दिनांक 24 फरवरी, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री विजय कुमार, स०वि०स० ।

प्रश्न-क्या यह बात सही है कि नालंदा एवं जमुई जिला को जोड़ने वाली सड़क में लछुआर पर्यटन स्थल स्थित रहने से सड़क पर यातायात का दबाव रहता है, जिससे आये दिन दुर्घटना होते रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित सड़क का दोहरीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिला से बरबीघा तक पथ की चौड़ाई 10.0 मी० चौड़ा एवं बरबीघा से जमुई तक 7.0 मी० चौड़ा पथांश है । जबकि जमुई से लछुआर मोड़ तक 7.0 मी० चौड़ा पथ है । लछुआर मोड़ से पर्यटन स्थल पर पथ कार्य प्रगति में है । जिसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करना संभावित है ।

(ज्ञाप संख्या 127-वि०स०, पटना, दिनांक 19 जुलाई, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 127, दिनांक 19 जुलाई, 2021 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4150, दिनांक 4 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वियन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 889/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2876 (पथ-166), दिनांक 24 मार्च, 2021 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता--श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० ।

विषय-पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के केसरिया और महमदपुर के बीच एस०एच० 74 में पुलिया नहीं रहने के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन में जल-जमाव रहता है, तो उपर्युक्त स्थल पर पुलिया का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री नितीन नवीन, (मंत्री)--महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में केसरिया से महमदपुर (लम्बाई 3 कि०मी०) के बीच एस०एच०-74 में 8 पुलिया निर्मित है, जो मानक के अनुरूप है ।

अध्यक्ष--उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा--जी महोदय, धन्यवाद उत्तर के लिये लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को वस्तुस्थिति बताना चाहती हूँ । वास्तविकता यह है कि आठ तो कागज पर पुलिया बने हुये हैं केसरिया से महमदपुर के बीच में लेकिन सबमें मिट्टी भरी हुई है और पानी की निकासी नहीं होती है जिससे पिछली बार जो बाढ़ आयी थी तो काफी वहां जल-जमाव रहा है । इससे खेती वाली जमीन काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है । इसलिये आग्रह है और प्रश्न भी है कि तब इस पुलिया से मिट्टी निकालकर जल-जमाव को खाली करवा देंगे ?

श्री नितीन नवीन, (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो विषय बताया है उस पर निश्चित रूप से वहां के कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट रूप से निदेशित किया जायेगा कि अगले 15 दिनों के अंदर सभी पुलियों से मिट्टी हटाकर क्लीयर किया जाय और पानी को हटाया जाय ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा--बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष--इनका बराबर इनको मार्गदर्शन मिलते रहता है ।

श्री नन्दकिशोर यादव--महोदय, पुलिया के नीचे मिट्टी जमने का मतलब है कि पानी की निकास का जो मार्ग है उसमें मिट्टी आ गयी है तो पथ निर्माण कैसे करेगा ? वह तो पानी के निकासी का काम जिनके जिम्मे है चाहे वह लघु सिंचाई के पास होगा या सिंचाई विभाग के पास होगा वे उसको साफ करेंगे । पथ निर्माण तो पुलिया बनाने का काम करता है ।

अध्यक्ष--चलिये, सुझाव को ग्रहण कर लीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)--महोदय, नन्दकिशोर बाबू ने बता दिया कि अनुभव से कैसे मामले को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है ।

(ज्ञाप संख्या 889-वि०स०, पटना, दिनांक 5 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 889, दिनांक 5 अगस्त, 2021 के द्वारा पथ विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4101, दिनांक 4 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1002/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2236 (पथ-115), दिनांक 17 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--डॉ० संजीव कुमार, स०वि०स० ।

प्रश्न-क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड के पसराहा से मड़ैया होते नयागांव तक जाने वाली सड़क पूर्णत: जर्जर हो जाने एवं गड्डे में तब्दील हो जाने के कारण उक्त क्षेत्र को जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथ का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--आँशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड के पसराहा से मड़ैया होते नयागाँव तक जाने वाली सड़क की कुल लम्बाई 11.830 कि०मी० में से 4.50 कि०मी लम्बाई की स्थिति अच्छी नहीं है । यह पथ पसराहा जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, जिसमें Black Cotton Soil रहने के कारण पथ Crust में Failure की समस्या रही है । साथ ही ''अगुवानी-सुलतानगंज महासेतु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों की ढुलाई भी इसी मार्ग से किया जा रहा है । पथ के Failure की जांच हेतु विभाग से एक विशेषज्ञ टीम स्थल जांच करने गई थी । विशेषज्ञ टीम द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त इस पथ का पुन: निर्माण कराने का निर्णय प्रक्रियाधीन है ।

(ज्ञाप संख्या 1002-वि०स०, पटना, दिनांक 31 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1002, दिनांक 31 अगस्त, 2021 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4160, दिनांक 4 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-V पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1506/21

प्रसंग एवं विषय

श्री रामप्रवेश राय, स०वि०स० के गैर सरकारी संकल्प पर दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

विषय-यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत कोईनी बाजार में घट रही सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने हेतु एन०एच०-27 में कोईनी बाजार में अंडर पास का निर्माण कराये जाने हेतु सड़क से सिफारिश करे ।

सरकारी आश्वासन

श्री नितिन नवीन, (मंत्री)--उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन०एच०-27 पर जिला गोपालगंज अन्तर्गत कोईनी बाजार के पास अंडरपास का निर्माण अप्रैल, 2019 के पहले ही कर दिया गया है एवं उस अंडरपास पर आवागमन भी जारी है । माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसकी दृष्टि से हम लोगों ने एन०एच० के द्वारा वहां पर जो परामर्शदाता कमेटी के द्वारा निरीक्षण करवाया था और निरीक्षणोपरांत बताया गया है कि वहां पर एक और अंडरपास बनाना उचित नहीं होगा ।

श्री राम प्रवेश राय, (मंत्री)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा रिपोर्ट सही आई है, लेकिन मैं जो स्थल दे रहा हूँ बाजार में एन०एच० 27 के दोनों तरफ घना बाजार है और चूँकि मार्केट है इसलिये दिनभर लोगों का आना-जाना रहता है । आधा किलोमीटर दूर एक अंडरपास है जो पहले से बना हुआ है जिसे समय सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था उसी समय थोड़ा वह गलत हो गया, थोड़ा और इधर बन जाता तो दूसरे अंडरपास की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आज की तारीख में यह बाजार जो है घना बाजार है और रोड पर प्रतिदिन लोगों का इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आना जाना रहता है जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं सैकड़ों लोगों की दुघटना हो गई वहां गाड़ियों से इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक बार उसको दिखवा लें और चूंकि जनहित में वहां अंडरपास बनाना जरूरी है यहां भी अगर अंडरपास बन जायेगा । तो दुर्घटनाएं रूक जायेगी । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखवा लीजिये और सचमुच जनहित में वह आवश्यक है तो उसको करवा दीजिये । केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजना है ।

श्री नितिन नवीन, (मंत्री)--उपाध्यक्ष महोदय, फिर से एक बार इसको देख लेंगे ।

(ज्ञाप संख्या 1506-वि०स०, पटना, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1506, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4090, दिनांक 4 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1773/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 288 (पथ-10), दिनांक 1 दिसम्बर, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री गोपाल रविदास , स०वि०स० ।

प्रश्न-क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखंड के एन०एच०-98 रोड से आर०सी०डी० रोड अनिसाबाद होते हुये बलम्मीचक ब्रहम्पुर-गंज पर से पुनपुन बांध तक जाने वाली रोड पुर्णत: अतिक्रमित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--आँशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखंड के एन०एच०-98 अनिसाबाद गोलम्बर से बलम्मीचक तक राष्ट्रीय उच्च पथ के स्वामित्व में एवं बलम्मीचक से जयप्रकाश नगर मोड़ तक ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में तथा जयप्रकाश नगर मोड़ से ब्रहम्पुर, गंजपर होते हुये पुनपुन बांध तक जाने वाली सड़क पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में है । इस पथ में जयप्रकाश नगर से ब्रहम्पुर तक अस्थायी अतिक्रमण था, जिसे हटा दिया गया है । पथ का निर्माण/चौड़ीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

(ज्ञाप संख्या 1773-वि०स०, पटना, दिनांक 3 जनवरी, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1773, दिनांक 03 जनवरी, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4088, दिनांक 4 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 64/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 119 (पथ-23), दिनांक 02 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स०वि०स० ।

विषय-(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर-टण्डवा पथ में नवीनगर बाजार में पुनपुन नदी से सड़क का कटाव हो रहा है जिससे आमलोगों को परेशानी हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक पुनपुन नदी के कटाव से बचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) एवं (2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि चतरा मोड़ एन०एच०-98 से माली-नवीनगर-टण्डवा-रामनगर होते हुये हरिहरगंज पथ के पैकेज संख्या BR-02RC-004 (Part-II) कि०मी० 27.800 से कि०मी० 50.170) से संबंधित है । प्रासंगिक पथ के Flank के पुनपुन नदी से कटाव की तकनीकी पहलुओं की समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(ज्ञाप संख्या 64-वि०स०, पटना, दिनांक 28 अप्रील, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 64, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 2616, दिनांक 12 मई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 73/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 141 (पथ-09), दिनांक 02 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० ।

प्रश्न-क्या यह बात सही है कि पटना सिटी स्थित गंगा किनारे श्री गुरू गोविन्द सिंह घाट से दमराही घाट तक पथ निर्माण का कार्य कराने का निर्णय वर्ष 2020 में हुआ था, किन्तु अभीतक कार्य पूरा नहीं हो सका, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि पटना सिटी स्थित गंगा किनारे श्री गुरू गोविन्द सिंह घाट से दमराही घाट तक संपर्क पथ का कार्य प्रगति पर है एवं इसे मई 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

(ज्ञाप संख्या 73-वि०स०, पटना, दिनांक 28 अप्रील, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 73, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 2627, दिनांक 12 मई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 562/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 997 (पथ-114), दिनांक 09 मार्च, 2022 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० ।

विषय-(1) मधेपुरा जिलान्तर्गत आर०सी०डी० प्रमंडल, मधेपुरा के अधीन प्रखंड आलमनगर मुख्यालय स्थित आलमनगर बाजार में ठाकुरबाड़ी के निकट से लदमा नगर होते हुये लदमा घाट ड्रेनेज तक ढक्कनयुक्त पक्की नाली के निर्माण की योजना दो वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी ;

(2) दो वर्ष बीत जाने के बावजूद उक्त पक्की नाली का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ;

(3) तो उक्त नाली के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री नितिन नवीन, (मंत्री)--जवाब तो संलग्न है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत आलमनगर बाजार से ठाकुरबाड़ी के निकट लदमा नगर होते हुये लदमा घाट तक 798 मीटर लम्बाई में ढक्कनयुक्त ड्रेनेज का निर्माण ओ०पी०एम०आर०सी० पैकेज नं०-16(ए) के तहत माईनर इम्प्रूवमेंट कार्य मद में स्वीकृति प्राप्त है ।

कार्य प्रारंभ किया गया था 24 मार्च, 2019 को जिसको पूर्ण होना था 23 मार्च, 2020 को स्थल पर भूमि विवाद तथा अतिक्रमण के कारण यह काम रूका हुआ था । अब वह विवाद समाप्त हो गया है । अब इसको अप्रील, 2022 तक काम को पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 562-वि०स०, पटना, दिनांक 20 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 562, दिनांक 20 जून, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 2625, दिनांक 12 मई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 644/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1138 (पथ-80), दिनांक 09 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० ।

प्रश्न-(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड अन्तर्गत एन०एच०-110 नेहालपुर से सकुराबाद एवं सकुराबाद से घेजन ग्राम तक वर्ष 2020 में सड़क बनकर तैयार हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में कई स्थानों पर घटिया निर्माण सामग्री के कारण सड़क टूट चुका है, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण की उच्चस्तरीय जांच कराते हुये लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि दोनों पथों का निर्माण विशिष्टि के अनुरूप ही किया गया है ।

(i) सकुराबाद-घेजन पथ की स्थिति अच्छी है ।

(ii) नेहालपुर-सकुराबाद पथ में दो स्थानों (श्रीपुर 4th कि०मी० एवं इब्रहीमपुर 5th कि०मी०) पर स्थानीय लोगों द्वारा पथ पर पानी बहाये जाने के कारण आंशिक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे शीघ्र ही ठीक करा लिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 644-वि०स०, पटना, दिनांक 20 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 644, दिनांक 20 जून, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 2615, दिनांक 12 मई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1190/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2202 (पथ-116), दिनांक 16 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स० ।

विषय-(1) क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्ष पूर्व शेरघाटी-चेरकी गया पथ में करोड़ों रुपये व्यय के बावजूद निम्न स्तरीय सड़क का निर्माण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेरघाटी थाना मोड़ से समदा मोड़ तक नवनिर्मित सड़क जर्जर हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण में संलिप्त दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ की लम्बाई 32.20 कि०मी० है एवं चौड़ाई 7.00 मी० है, जो गया के सिकरिया मोड़ से शुरू होकर नई बाजार शेरघाटी तक जाती है । पथ के कि०मी० 0.00 (सिकरिया मोड़) से कि०मी० 23.00 (समदा मोड़) एवं कि०मी० 30.00 (शेरघाटी थाना) से कि०मी० 32.20 में सतह नवीकरण का कार्य लगभग 4.5 वर्ष पूर्व कराया गया था । OPRMC Phase-I अन्तर्गत संधारित उक्त पथांशों की अवधि दिसम्बर, 2020 में समाप्त हो चुकी है । वर्तमान में इन पथांशों को साधारण मरम्मती से संधारित किया जा रहा है तथा पथ यातायात योग्य है ।

समदा मोड़ से शेरघाटी थाना तक कराये गये कार्य की जांचोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(ज्ञाप संख्या 1190-वि०स०, पटना, दिनांक 4 जुलाई, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1190, दिनांक 04 जुलाई, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 2617, दिनांक 12 मई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-46/2012-2624(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 12 मई, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-428/2012 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 428, दिनांक 4 मई, 2012 के प्रसंग में कहना है कि सहरसा जिलान्तर्गत बल्थी से मुसहरनियाँ का शेष पथांश 4-6.5वें कि०मी० तक पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पस्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-II

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-01/2021-4117(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-61/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके ज्ञापांक 61, दिनांक 19 जुलाई, 2021 के प्रसंग में कहना है कि राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-527A के कि०मी० 0.00 से 28.00 (पोखरौनी से झंझारपुर) पथ के कि०मी० 19.00 एवं 20.00 में अवस्थित भगवतीपुर एवं कि०मी० 22.00 एवं 23.00 में अवस्थित सलेमपुर का स्थल अध्ययन किया गया । उक्त स्थल पर सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं रहने एवं पानी के निकासी हेतु नजदीक में Outfall नहीं रहने के कारण नाला निर्माण का कार्य संभव नहीं है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-III

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-09/2021-4150(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-127/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 127, दिनांक 19 जुलाई, 2021 के प्रसंग में कहना है कि नालन्दा से लछुआर जाने हेतु पथों का विवरण निम्न है:-

1. नालन्दा से बरबीघा (एन०एच०-82) चौड़ाई 10.00 मी०
2. बरबीघा से सिकंदरा (एन०एच०-333ए) चौड़ाई-7.00 मी०
3. सिकंदरा से लछुआर मोड़ (MDR) चौड़ाई-7.00 मी० (5.00 कि०मी०)
4. लछुआर मोड़ से धर्मशाला (MDR) चौड़ाई-5.50 मी० (0.75 कि०मी०)
5. लछुआर मोड़ से भगवान महावीर जन्मस्थली मंदिर (MDR) चौड़ाई-5.50 मी० (17.30 कि०मी०) ।

अतः नालन्दा से लछुआर जाने हेतु पथों का चौड़ीकरण किया जा चुका है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-IV

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-18/2021-4101(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-889/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 889, दिनांक 5 जुलाई, 2021 के प्रसंग में कहना है कि वर्तमान में केसरिया से महमदपुर (लम्बाई 3.00 कि०मी०) के बीच एस०एच०-74 में 8 पुलिया निर्मित है, जो मानक के अनुरूप है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-V

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-37/2021-4160(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-1002/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1002 दिनांक 31 अगस्त, 2021 के प्रसंग में कहना है कि पसराहा से मड़ैया होते हुये नया गांव तक सड़क की लम्बाई 11.830 कि०मी० है । इस पथ का पसराहा से मड़ैया पथांश बिहार राज्य पुल निर्माण द्वारा कालीकरण (DBM तक) का कार्य कराया जा चुका है एवं यातायात सुचारू रूप से चल रहा है ।

पथ का मड़ैया से नया गॉव तक का पथांश OPRMC--2/17A अन्तर्गत पथ प्रमंडल, खगड़िया द्वारा संधारित है । पथ की स्थिति अच्छी है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-VI

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-69/2021-4090 (S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-1506/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1506, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के प्रसंग में कहना है कि एन०एच०-27 पर जिला गोपालगंज अन्तर्गत कोईनी बाजार के पास अंडरपास का निर्माण अप्रैल-2019 के पहले ही कर दिया गया है एवं उस अंडरपास से आवागमन भी जारी है ।

कोईनी बाजार (कि०मी० 395.291) अंडरपास कि पहुँच पथ के समीप से पुनः दूसरा तकनीकी रूप से सही नहीं होगा ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-VII

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-16/2021-4088 (S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-1773/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1773, दिनांक 3 जनवरी, 2022 के प्रसंग में कहना है कि एन०एच०-98 के बलम्मींचक मोड़ से जय प्रकाश नगर/शिवनगर तक का पथ ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन है । जय प्रकाश नगर से ब्रहम्पुर, कुरकुरी, गंजपर होते हुये पुनपुन सुरक्षा बांध तक का पथ, पथ निर्माण विभाग के क्षेत्राधीन है । जय प्रकाश नगर से ब्रहम्पुर तक अस्थायी अतिक्रमण था, जिसे हटा दिया गया है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-VIII

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-29/2022-2616 (S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 12 मई, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-64/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 64, दिनांक 28 अप्रील, 2022 के प्रसंग में कहना है कि प्रश्नगत मामला चतरा मोड़ NH-98 से माली-नवीनगर-टण्डवा-रामनगर होते हुये हरिहरगंज पथ के पैकेज संख्या BR-02RC-004 (Part-II)(कि०मी० 27.800 से कि०मी० 50.170) से संबंधित है ।

प्राक्कलन में Road Embankment के सुरक्षात्मक कार्य का प्रावधान नहीं है । वर्तमान में इस योजना का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा साथ ही पथ के सुरक्षा हेतु Shoulder में संपीडित मिट्टी का कार्य कराते हुये कटाव किये गये अंश में सुधार करा लिया गया है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-IX

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-26/2022-2627 (S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 12 मई, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-73/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 73, दिनांक 28 अप्रील, 2022 के प्रसंग में कहना है कि पटना सिटी स्थित गंगा किनारे श्री गुरू गोविन्द सिंह घाट से दमराही घाट में दो संपर्क पथ क्रमशः (1) गुरू गोविन्द सिंह घाट से पटना घाट संपर्क पथ एवं (2) पटना घाट से दमराही घाट संपर्क पथ है । गुरू गोविन्द सिंह घाट से पटना घाट संपर्क पथ का निर्माण कार्य मार्च, 2022 में पूर्ण हो चुका है एवं पटना घाट से दमराही घाट संपर्क पथ का निर्माण कार्य अप्रैल, 2022 में पूर्ण हो चुका है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-X

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-64/2022-2625 (S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 12 मई, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-562/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 562, दिनांक 20 जून, 2022 के प्रसंग में कहना है कि आश्वासनाधीन नाला निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XI

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-55/2022-2615 (S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 12 मई, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-644/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 644, दिनांक 20 जून, 2022 के प्रसंग में कहना है कि नेहालपुर-सकुराबाद पथ में दो स्थानों (श्रीपुर 4th कि०मी० एवं इब्रहीमपुर 5th कि०मी०) पर क्षतिग्रस्त पथ को ठीक करा दिया गया है । पथ की स्थिति अच्छी है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XII

पत्रांक-6/पथ/ आश्वा० (वि०स०) 10-77/2022-2617 (S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 12 मई, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं०-1190/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1190, दिनांक 04 जुलाई, 2022 के प्रसंग में कहना है कि प्रश्नगत पथ की लम्बाई 32.20 कि०मी० है एवं चौड़ाई 7.00 मी० है, जो गया के सिकरिया मोड़ से शुरू होकर नई बाजार शेरघाटी तक जाती है । पथ के कि०मी० 0.00 (सिकरिया मोड़) से कि०मी० 23.00 (समदा मोड़) एवं कि०मी० 30.00 (शेरघाटी थाना) से कि०मी० 32.20 में सतह नवीकरण का कार्य लगभग 4.5 वर्ष पूर्व कराया गया था । साधारण मरम्मती मद से गुणवत्ता के साथ पथ का मोटेरेबुल रखा गया है । पथ की स्थिति अच्छी है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

बि0स0मु0 03—(एल0ए0), 2024—25 डी0टी0पी0—300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024